फा. संख्या 07/20/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला संख्याः एडी (एसएसआर) - 08/2023

दिनांकः 30 सितम्बर 2023

विषय: चीन जन.गण., जापान, कोरिया गण., वियतनाम और ताइवान में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" के आयात के संबध में निर्णायक पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 07/20/2023-डीजीटीआर - मैसर्स टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदकों' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'एडी नियम' के रूप में संदर्भित), के अनुसार चीन जन.गण., जापान, कोरिया गण.,वियतनाम और ताइवान (बाद में 'संबद्ध देशो के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" (बाद में 'विषय वस्तुओं' के रूप में संदर्भित किया जाता है) के आयात पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा शुरू करने की मांग की गई है।

2. अधिनियम की धारा 9ए(5) और एडी नियमों के नियम 23(1बी) के अनुसार, लगाए गए पाटन रोधी शुल्क जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता, ऐसी तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्राधिकरण को पाटन रोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उसी के अनुसार, प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन रोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है, और

क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पृष्ठभूमि

3. संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल जांच प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.05.2019 की अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर के तहत शुरू की गई थी। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.05.2020 की अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष जारी किए गए थे जिसमें निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।

4. उक्त सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 29.07.2020 की सीमा शुल्क संख्या 21/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था। वर्तमान पाटन रोधी शुल्क 28.07.2025 तक लागू हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स ("विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "विषय वस्तुएं" या "डिजिटल प्लेट्स" या "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स") हैं।

6. मूल जांच में प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकाला गया उत्पाद क्षेत्र निम्नानुसार था:

> *"विचाराधीन उत्पाद "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का उपयोग मुद्रण उद्योग में कागज पर या गैर-अवशोषक सब्सट्रेट जैसे टिन शीट या पॉली फिल्म आदि पर एक छवि के रूप में डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का उपयोग करके मुद्रण प्रक्रिया में डिजिटल वर्कफ़्लो सीधे स्थानांतरण को सक्षम बनाता है लेज़रों का उपयोग करके 'कंप्यूटर से प्लेट' (सीटीपी) में छवि, एनालॉग वर्कफ़्लो के विपरीत जिसमें छवि को स्थानांतरित करने के लिए एक मध्यस्थ फिल्म की आवश्यकता होती है। डिजिटल प्लेटें रासायनिक कोटिंग से लेपित उच्च शुद्धता वाले लिथो-ग्रेड एल्यूमीनियम कॉइल से बनाई जाती हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें या तो सकारात्मक (गैर-उजागर क्षेत्र छवि बनाती हैं) या नकारात्मक (उजागर क्षेत्र छवि बनाती हैं) कार्यशील प्लेटें हो सकती हैं। इस श्रेणी में वे प्लेटें शामिल हैं जिन्हें प्लेटों के प्रसंस्करण के लिए रसायनों की आवश्यकता होती है; और पर्यावरण के अनुकूल भी, जिसके प्रसंस्करण के लिए किसी रसायन या पानी की आवश्यकता नहीं होती*

है। विभिन्न प्रकार की प्लेटों के लिए कोटिंग फॉर्मूलेशन अलग-अलग होते हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट तीन प्रकार की होती हैं,

I. थर्मल प्लेट्स
II. वायलेट प्लेट्स
III. सीटीसीपी / यूवी सीटीपी प्लेट्स

प्राधिकरण ने प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और माना है कि सभी आयामों और मोटाई में सभी प्रकार की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आती हैं। हालांकि, ऊपर बताए गए कारणों से वाटरलेस सीटीपी प्लेटों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

7. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहता है।

8. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 29 में दर्शाया गया है।

<u>ग. समान वस्तु</u>

9. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और विषय देशों से आयातित विषय वस्तुएं वस्तुओं की तरह हैं। विषय देशों से निर्यात की जाने वाली विषय वस्तुओं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और विषय देशों से आयातित डिजिटल प्लेटें भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का उपयोग कर सकते हैं और परस्पर उपयोग कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से अधीन हैं और इसलिए नियमों के तहत 'जैसे लेख' के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को विषय देशों से आयात किए जा रहे विषय वस्तुओं के लिए 'जैसे लेख' के रूप में माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन मैसर्स टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम (पी) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कथित पाटित की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं है। हालांकि आवेदक ने अपनी दो विनिर्माण इकाइयों के नियमित रूप से बंद होने के कारण विषय और गैर-विषय दोनों देशों से विषय वस्तुओं की नगण्य मात्रा का आयात किया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि पीओआई के दौरान उनके द्वारा किए गए आयात विषय वस्तुओं के उत्पादन की तुलना में कम मात्रा में थे। आवेदक के अलावा भारत में एक अन्य प्रमुख उत्पादक है अर्थात् एचएल प्रिंटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। भारत में कुल घरेलू उत्पादन में से आवेदक का उत्पादन हिस्सा 96% है। चूंकि आवेदक का उत्पादन भारत में विषय वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है इसलिए आवेदक स्थिति को संतुष्ट करता है और पाटन रोधी नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करता है।

ङ. संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच के लिए विषय देश चीन जन. गण., जापान, कोरिया गण., वियतनाम और ताइवान है।

च. जांच की अवधि

12. वर्तमान समीक्षा जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) तक है। क्षति जांच की अवधि 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और पीओआई तक है।

छ. प्रक्रिया

13. निर्णायक समीक्षा जांच में दिनांक 15.05.2020 की अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा जिसमें संबंधित देशों में उत्पन्न होने वाली या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।

14. नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

ज. पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. प्राधिकरण की सतत प्रथा चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने की रही है जब तक कि चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते हैं कि पाटन रोधी नियम, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार विषय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।

16. इसलिए वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से उचित लाभ मार्जिन के साथ-साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित आवेदक के उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है।

जापान, कोरिया, वियतनाम और ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर विषयगत देशों के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने का प्रस्ताव दिया है, जो कि विषयगत देशों में लागत को प्रतिबिंबित करने के लिए सामग्री, उपयोगिताओं और श्रम के लिए विधिवत समायोजित है।

18. प्राधिकारी ने, जांच शुरू करने के उद्देश्य से, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित मुनाफे के लिए विधिवत समायोजित उत्पादन आवेदक के लागत के आधार पर प्रथम दृष्टया जापान, कोरिया, वियतनाम और ताइवान के लिए सामान्य मूल्यों का निर्धारण किया है।

निर्यात कीमत

19. प्राधिकरण ने शुद्ध निर्यात मूल्य (एनईपी) के निर्धारण के लिए विषय वस्तु के सीआईएफ मूल्य पर विचार किया है। इसके बाद प्राधिकरण ने एक्स-फैक्ट्री कीमत पर पहुंचने के लिए इन कीमतों में आवश्यक समायोजन किया है।

पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध और डंपिंग या क्षति की पुनरावृत्ति

21. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क मौजूद होने के बावजूद संबद्ध देशों से आयात की मात्रा अधिक बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने मौजूदा पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग या क्षति की पुनरावृत्ति की प्रथम दृष्टया संभावना की जांच की है। प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया आवेदन में कथित आधारों के आधार पर मौजूदा शुल्कों की निरंतरता की भी जांच की है।

22. इसके अलावा, आवेदक ने सकारात्मक डंपिंग और क्षति मार्जिन, डंपिंग का इतिहास, संबद्ध देशों में उपलब्ध क्षमताएं और क्षमता विस्तार, संबद्ध देशों में घरेलू मांग की कमी, शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग पर डंपिंग की पुनरावृत्ति का संभावित प्रभाव जैसे कारकों के आधार पर क्षति की संभावना का दावा किया है। पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को डंपिंग और क्षति की संभावना के बारे में प्रथम दृष्टया सबूत हैं।

ञ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और खुद को संतुष्ट करने के बाद, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर घरेलू उद्योग को डंपिंग और परिणामी क्षति की संभावना की पुष्टि करते हुए, और नियम 23 के अनुसार नियमों के (1बी) में, प्राधिकरण विषयगत देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए वर्तमान जांच शुरू करता है, और यह जांचने के लिए कि क्या मौजूदा वस्तुओं की समाप्ति हो रही है पाटन रोधी शुल्क से पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान होगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

25. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना

में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।

27. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

28. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

31. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्षगोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

33. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

34. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

35. हितबद्धपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।

36. अगोपनीयसारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

37. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 29 में दर्शाए गए आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

38. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी

अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

39. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध नहीं आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

40. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।

41. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

<u>ढ. असहयोग</u>

42. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी